डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत उप जिला कलक्टर टोडाभीम
पीठासीन अधिकारीः– दुर्गा प्रसाद मीना आर.ए.एस

उनवान

1. मदन पुत्र कन्हैया निवासी पदमपुरा तहसील टोडाभीम।

वादी

बनाम

1. तहसीलदार टोडाभीम जिला करौली।

प्रतिवादी

दावा बावत इन्द्राज दुरूस्ती

मु0न0 43/2020

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबई श्री छुट्टन लाल मीना एडवोकेट मिनकानिब गुदई रूबरू पैरोकार सरकार हमारे मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। कि

अतः वादी का दावा डिक्री किया जाता है, तथा ग्राम पदमपुरा की आराजी ख0न0 987/0.02, 995/0.25, 996/0.30 कुल किता 3 कुल रकबा 0.57 है0 मे वादी का नाम मन्नी पुत्र कन्हैया के स्थान पर मदनलाल पुत्र कन्हैया दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार राजस्व रिकार्ड मे अंकन करे।

निज.....................मुबलिंग...........................बाबत.........................खर्चा इस मुकदमे के मय शूद बशरह....................फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक...............अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 09.09.2020 को जारी की गई।

दस्तखत.......(दुर्गा प्रसाद मीना)
उपखण्ड अधिकारी टोडाभीम
ओहदा..........जिला करौली

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकाल नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			म्हनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			वावत इजराय हुक्मनामा		
ववत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					

न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

मु0न0 43/20 तारीख रजू:– 09.07.2020

पीठासीन अधिकारी:– दुर्गा प्रसाद मीना (आर.ए.एस)

उनवान

1. मदन पुत्र कन्हैया प्रजापत निवासी पदमपुरा तहसील टोडाभीम।

वादी

बनाम

1. तहसीलदार टोडाभीम जिला करौली।

प्रतिवादी

दावा वावत इन्द्राज दुरूस्ती

उपस्थिति:– श्री छुट्टन लाल मीना एडवोकेट (वादी)

पैरोकार सरकार (प्रतिवादी)

निर्णय **दिनांक:– 09.09.20**

संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम पदमपुरा की आराजी ख0न0 987/0.02, 995/0.25, 996/0.30 कुल किता 3 कुल रकवा 0.57 है0 मे वादी की मॉ सोनी, बहिन केशी व रामनरी तथा वादी के नाम रेवन्यू रिकार्ड मे दर्ज है उक्त आराजी वादी को विरासत से प्राप्त हुई है।

उक्त आराजीयात मे वादी का नाम मन्नी पुत्र कन्हैया दर्ज है। जबकि वादी का सही नाम मदनलाल पुत्र कन्हैया है। वादी का नाम समस्त दस्तावेजात यथा आधारकार्ड, भामाशाहकार्ड, व बच्चो के शैक्षणिक दस्तावेजो मे मदनलाल पुत्र कन्हैया दर्ज है। विरासत से मिली आराजीयात मे राजस्व रिकार्ड मे नाम गलत दर्ज होने के कारण सरकारी लाभ नही मिल पा रहे है। अतः दावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि ग्राम पदमपुरा की आराजी ख0न0 987/0.02, 995/0.25, 996/0.30 कुल किता 3 कुल रकवा 0.57 है0 मे वादी का नाम मन्नी पुत्र कन्हैया के स्थान पर मदनलाल पुत्र कन्हैया दर्ज करने के आदेश दिये जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी पैरोकार सरकार ने जबाव प्रस्तुत किया कि वादी के पिता के फौत होने पर ग्राम पदमपुरा मे विरासत के नामांतकरण सख्या 120 दिनांक 8.1.2001 से राजस्व रिकार्ड मे मन्नी पुत्र कन्हैया दर्ज हुआ है जो लगातार वर्तमान जमाबन्दी सम्वत 2078 मे भी दर्ज है। मन्नी एवं मदनलाल एक ही व्यक्ति के नाम है। अन्य कोई व्यक्ति इस नाम से नही है। मन्नी का वास्तविक नाम मदनलाल है।

वादी की और से अपने वादपत्र के समर्थन मे अपनी माता सोनी बेवा कन्हैया, एवं बहिन केशी पुत्री कन्हैया एवं रामनिरी पुत्री कन्हैया को उपस्थित कराकर शपथ पत्र पेश किये। इनसे की गई जिरह मे उन्होने कहा कि मदन और

मन्नी एक ही व्यक्ति है। सही नाम मदनलाल ही है। राजस्व रिकार्ड मे नाम दरूस्त फरमाया जावे।

वादी वकील ने दावा स्वीकार फरमाते हुये राजस्व रिकार्ड मे वादी का नाम मन्नी के स्थान पर मदनलाल किये जाने के आदेश दिये जाने का कथन किया। वादी वकील की बहस पर मनन किया पत्रावली मे शामिल दस्तावेजो एवं साक्ष्य के रूप मे प्रस्तुत शपथ पत्रो का अवलोकन किया। ग्राम पदमपुरा की जमाबन्दी सम्वत 2075–78 के खाता संख्या 416 मे वर्णित आराजीयात ख0न0 987/0.02, 995/0.25, 996/0.30 कुल किता 3 कुल रकवा 0.57 है0 मे वादी का नाम मन्नी पुत्र कन्हैया दर्ज है। पत्रावली मे शामिल आधार कार्ड न0 5635 6796 4124 एवं भामाशाह कार्ड न0 YIOUIAB एवं पुत्र हेमराज की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की अंकतालिका मे मदनलाल नाम दर्ज है।

वादी वकील की बहस पर मनन किया गया। प्रतिवादी पैरोकार सरकार ने भी अपने जवाब एवं बहस मे ग्राम पदमपुरा मे मन्नी एवं मदनलाल एक ही व्यक्ति होना स्वीकार किया है। वादपत्र मे वर्णित आराजीयात जरिये नामांतकरण विरासत से प्राप्त होने का उल्लेख किया है। पत्रावली मे शामिल शपथ पत्रो एवं दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। वादी की मॉ सोनी देवी और दो बहन रामनिरी व केशी के द्वारा भी वादी का नाम मदनलाल होने संबधी शपथ पत्र पेश किए है। आधार कार्ड न0 5635 6796 4124 एवं भामाशाह कार्ड न0 YIOUIAB एवं पुत्र हेमराज की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की अंकतालिका मे मदनलाल नाम दर्ज है। उपरोक्त तथ्यो के आधार पर वादी का नाम मन्नी के स्थान पर मदनलाल किया जाना उचित पाता हूँ।

अतः वादी का दावा डिक्री किया जाता है, तथा ग्राम पदमपुरा की आराजी ख0न0 987/0.02, 995/0.25, 996/0.30 कुल किता 3 कुल रकवा 0.57 है0 मे वादी का नाम मन्नी पुत्र कन्हैया के स्थान पर मदनलाल पुत्र कन्हैया दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार राजस्व रिकार्ड मे अंकन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांकः–09.09.2020 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया

09/9/2020

(दुर्गा प्रसाद मीना)
उपखण्ड अधिकारी टोडाभीम
जिला-करौली

(दुर्गा प्रसाद मीना)
उप जिला कलक्टर
टोडाभीम जिला करौली